

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी

क्रमांक :- 1580

दिनांक :- 9.11.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- F-14 ( )2017/FCA/PCCF/EDS-1 dated 10.06.2019 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- **Construction of Gararda Medium Irrigation project Distt. bundi**

यूजर एजेन्सी का नाम :- Executive Engineer WR Div. Bundi

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 18.567 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Bundi District and Bundi territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- **FP/RJ/IRRIG/30576/2017 Date of Proposal : 04.05.2018**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 A-1 (ii) में यूजर एजेन्सी द्वारा वन भूमि का अनारक्षण दांयी/बांयी ओर नहर निर्माण हेतु किया जाना अंकित किया गया है किन्तु इसे ऑनलाईन प्रस्ताव में अंकित नहीं किया गया है।                                                                                                                                                            | संलग्न कर दी गई हैं।                                                            |
| 2 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C के (iii) में संलग्न GT Sheet Scale 1:50000 में GT Sheet का नम्बर नहीं है इसमें शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।                                                                                                                                                                           | इसमें शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिये गये हैं। |
| 3 | प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 7 की पालना नहीं। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D (i) में प्रस्तावित नहर बनाये जाने की औचित्यता एवं विभिन्न कन्टूर पर लिये गये विभिन्न विकल्पों के अध्ययन का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।                                                                                                                                      | संलग्न कर दी गई हैं।                                                            |
| 4 | प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 8 की पालना नहीं। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 E में यूजर एजेन्सी द्वारा रोजगार सृजन संबंधी सूचना काल्पनिक है। पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।                                                                                                                                                                    | पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न कर दी गई है।                                      |
| 5 | प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 9 की पालना के क्रम में प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 L में अनारक्षण के बदले गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कराया गया है। प्रस्ताव में चाकन परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि में से भूमि का आवंटन आरक्षित किया गया है। जिसमें उप वन संरक्षक बून्दी की सहमती भी जाहिर होना अंकित किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न किया जाना प्रस्तावित | संलग्न कर दी गई है।                                                             |
| 6 | बिन्दु संख्या 10 की पालना नहीं। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 M में CAT Plan संलग्न नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रस्ताव नहर के निर्माण से सम्बन्धित है। अतः कट प्लान की आवश्यकता नहीं है।      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>बिन्दु संख्या 11 की पालना के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं में निम्न सूचना दिया जाना अपेक्षित है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में कुल बांध निर्माण एवं नहर निर्माण हेतु जबकि बांध निर्माण में प्रत्यावर्तन पूर्व में लिया जा चुका है। प्रस्ताव मात्र नहर निर्माण का है अतः उक्तानुसार संशोधित प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।</li> <li>2. प्रोजेक्ट डिटेल्स बांध निर्माण से संबंधित है नहर निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट डिटेल्स संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>3. जमाबंदी संलग्न नहीं की गई है।</li> <li>4. 12 मीटर चौड़ाई में लिया जाने वाला ले आउट प्लान एवं केनाल के क्रॉस सेक्शन संलग्न किये गये हैं किन्तु मंडावरी माइनर का क्रॉस सेक्शन संलग्न नहीं किया गया है।</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संलग्न कर दी गई हैं।</li> <li>2. संलग्न कर दी गई हैं।</li> <li>3. संलग्न कर दी गई हैं।</li> <li>4. संलग्न कर दी गई हैं।</li> </ol> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



अधिशायी अभियन्ता

जल संसाधन परियोजना

खण्ड बून्दी